निगरानी (फौजदारी) प्रकरण सं0 01/2019 (RCMS 2019/000091) मलकीत सिंह खोसा पुत्र श्री गुरनाम सिंह निवासी चक 1 केके तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम पाला सिंह पुत्र नाम नामालूम जाति मजहबी सिख निवासी ग्रंथी, गुरूद्वारा चक 1 केके तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 2. यादविन्द्र सिंह पुत्र पाल सिंह जाति मजहबी सिख पता गुरूद्वारा चक 1 केके तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 3 सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.04.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर आपके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट है इसलिए उनके द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को ही है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर ने प्रकरण संख्या 01/2018 मलकीत सिंह बनाम पाला सिंह में दिनांक 15.02.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध धारा 107, 116 सीआरपीसी के तहत चल रही कार्यवाही को अभिलेख में आये अन्य तथ्यों पर विचार किये बिना ही, थानाधिकारी घमूडवाली की रिपोर्ट पर समाप्त कर दी है। इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् नहीं है। अतः उक्त निगरानी स्वीकार करके उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर का आदेश दिनांक 15.02.2019 निरस्त किया जावे और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी जमानत मुचलकों पर पाबंद किया जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने यह निगरानी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 01/2018 मलकीत सिंह बनाम पाला सिंह में दिनांक 15.02.2019 के विरूद्ध पेश की है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर द्वारा निम्न आदेश पारित किया है :

15.02.2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थीगण उपस्थित है एवं प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग नही की है। थानाधिकारी, पुलिस थाना, घमूड़वाली की रिपोर्ट के आधार पर भी उक्त आरोप पूर्णतया झूठे पाये गये। क्योंकि यदि पाठी द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है तो कमेटी या गांव के अन्य व्यक्ति भी पाठी का विरोध या शिकायत करता। परन्तु ऐसा नहीं पाया गया। अतः थानाधिकारी पुलिस थाना घमूड़वाली की रिपार्ट के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता हैं पत्रावली तरतीब–तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
पदमपुर

उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है। वकील निगरानीकर्त्ता के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस ऐसा कोई कानून पेश नहीं किया गया है जिसके अनुसार अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार हो। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अन्तर्गत निगरानी सम्बन्धित प्रावधान दिए गए है, जो निम्न प्रकार से है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

397. पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना : **(1)** उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैद्यता या औचित्य के बारे में और ऐसे अबर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निदेश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर छोड दिया जाए।

स्पष्टीकरण : सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हो या न्यायिक और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का, इस उपधारा के और धारा 398 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायाधीश से अवर समझे जाएगें।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पुररीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा।

(3) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त धारा 397 की उपधारा (1) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के तहत सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हो या न्यायिक और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का, इस उपधारा के और धारा 398 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायाधीश से अवर समझे जाएगें। चूंकि इस मामले में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर ने प्रारम्भिक अधिकारिता के अन्तर्गत आदेश दिनांक 15.02.2019 को पारित किया है और उपखण्ड मजिस्ट्रेट जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अन्तर्गत दण्ड न्यायालय की श्रेणी में ही आता है और धारा 397(1) के अन्तर्गत सैशन न्यायाधीश को अपनी स्थानीय अधिकारिता के तहत स्थित किसी अवर दण्ड न्यायालय की निगरानी सुनने के लिए सक्षम है न कि यह न्यायालय।

अतः उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर के आदेश दिनांक 15.02.2019 के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है, इसलिए यह निगरानी क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर एडमिशन की स्टेज पर खारिज की जाती है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय के समक्ष पृथक से चाराजोहीं करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर